

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

विनियामक नवीनीकरण: एक निदर्शनात्मक अंतरण
Regulatory Revamp: A Paradigm Shift

आईआरडीएआई एक प्रेरक विनियामक परिवेश को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करता है तथा बीमा उद्योग में नवोन्मेषण, प्रतिस्पर्धा, और धारणीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। हैदराबाद स्थित आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय में मंगलवार, 19 मार्च 2024 को आयोजित प्राधिकरण की 125वीं बैठक में प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचे की व्यापक समीक्षा के उपरांत आठ सिद्धांत-आधारित समेकित विनियमों का अनुमोदन किया है।

ये विनियम पालिसीधारकों के हितों की रक्षा, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व, इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार-स्थान, बीमा उत्पाद और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं का परिचालन, एवं पंजीकरण, बीमांकिक, वित्त, निवेश और कंपनी अभिशासन के पहलुओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। यह जनवरी 2024 में बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्ययों संबंधी प्रथम समेकित विनियम की अधिसूचना के बाद घटित हुआ है।

यह विनियामक अभिशासन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जिसने 6 विनियमों से 34 विनियमों को प्रतिस्थापित किया है तथा 2 नये विनियमों को प्रारंभ किया है जिससे विनियामक परिदृश्य में स्पष्टता और सामंजस्य की वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में संशोधित ढाँचे को रूप देने में परिवर्तित परिप्रेक्ष्यों के व्यापक महत्व को सुनिश्चित करते हुए बीमा उद्योग, विशेषज्ञों, और कुल मिलाकर जनसाधारण सहित, विविध हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श संबद्ध रहा है।

उक्त 125वीं बैठक में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित विनियमों का सारांश निम्नानुसार है:

• **आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र, और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये रूप में, बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय में न्यूनतम व्यावसायिक दायित्वों से संबंधित पूर्व के 2 विनियमों का समेकन करते हैं। इन सांविधिक दायित्वों के अनुपालन और मापन में संशोधन किया गया है जहाँ ग्रामीण दायित्वों के अंतर्गत मापन की इकाई अब ग्राम पंचायत होगी, सामाजिक क्षेत्र के दायरे का विस्तार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्डधारकों और लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। मोटर अन्य पक्ष दायित्वों के अंतर्गत, मापन की इकाई मालवाहक वाहनों, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों को बीमा कवरेज का नवीकरण होगी।

• **आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार-स्थान) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार-स्थान) विनियम, 2024 का उद्देश्य बीमा के सार्वजनीकरण और लोकतंत्रीकरण की दिशा में *बीमा सुगम* नाम की एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना स्थापित करना एवं पालिसीधारकों के हितों का सशक्तीकरण और सुरक्षा करना तथा "2047 तक सबके लिए बीमा" की परिदृष्टि को प्राप्त करना है। यह बाजार-स्थान ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और एजेंटों सहित सभी बीमा हितधारकों

के लिए सर्वसेवाकेन्द्र समाधान के रूप में कार्य करता है, तथा इसके द्वारा समूची बीमा मूल्य शृंखला के अंदर पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सहयोग को बढ़ावा देता है।

- **आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 सात विनियमों को एक एकल व्यापक ढाँचे के रूप में सरल और कारगर बनाते हैं। इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं के पंजीकरण, शेयरधारिता के अंतरण, पूँजी विन्यास, बीमाकर्ताओं के समामेलन, तथा शेयर बाजारों में शेयरों की सूचीबद्धता सहित विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के द्वारा बीमा क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन देना है। इन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के द्वारा ये विनियम अधिक सुचारु रूप से परिचालनों को सुसाध्य बनाते हुए और समग्र क्षेत्रीय वृद्धि को बढ़ावा देते हुए, बीमा उद्योग के अंदर व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने की अपेक्षा करते हैं।

- **आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 का उद्देश्य बोर्ड और प्रबंधन की भूमिकाओं और दायित्वों को परिभाषित करते हुए, बीमाकर्ताओं के लिए एक सुदृढ़ अभिशासन का ढाँचा स्थापित करना है। यह पहली बार है कि वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत विद्यमान अभिशासन के पहलुओं को विनियमों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो किसी बीमा कंपनी की कार्यपद्धति में अभिशासन के महत्व पर विशेष बल देते हैं। यह सुदृढ़ और विवेकपूर्ण अभिशासन सिद्धांतों और प्रथाओं के अंगीकरण को सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों, विशेष रूप से पालिसीधारकों की प्रत्याशाओं की पूर्ति को भी प्राथमिकता देते हैं। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और नैतिक आचरण पर बल देने के द्वारा ये विनियम हितधारकों में विश्वास और भरोसे में वृद्धि करने का उद्देश्य रखते हैं।

- **आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 छह विनियमों का विलय एक एकीकृत ढाँचे में करते हैं जिनका उद्देश्य विकसित हो रही बाजार की माँगों के लिए त्वरित रूप से प्रतिक्रिया दर्शाने में बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाना, व्यवसाय के संचालन की सुगमता में वृद्धि करना, तथा बीमा व्यापन को बढ़ाना है। ये विनियम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांतों को उनके प्रकटीकरणों सहित मजबूत करने के साथ ही, उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण में अच्छे अभिशासन का संवर्धन करते हैं। ये यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रभावी निगरानी और समुचित सावधानी के लिए बीमाकर्ता सुदृढ़ प्रबंधन प्रथाओं को अपनाएँ। अतिरिक्त रूप से, ये विनियम नवोन्मेष बीमा उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं जो समाज के विभिन्न खंडों/स्तरों की आवश्यकताएँ पूरी करता है तथा पालिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और विनियामक अनुपालन को बनाये रखते हुए भी, उसके द्वारा एक प्रतिस्पर्धी बाजार-स्थान को प्रोत्साहन देते हुए अधिक व्यापक विकल्प उपलब्ध कराता है।

- **आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 दो विनियमों का समेकन करते हैं तथा वर्तमान कानूनी और विनियामक ढाँचे की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देने और उसे सुमेलित करने के द्वारा भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र के प्रणालीबद्ध विकास को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखते हैं। ये विनियम पुनर्बीमा परिचालनों में लगी हुई संस्थाओं के परिचालनों को सरल और कारगर बनाने का प्रयास करते हैं। पारदर्शिता और स्थिरता का संवर्धन करने के द्वारा ये विनियम पुनर्बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विस्तार के लिए एक सहायक परिवेश का निर्माण करने का उद्देश्य रखते हैं, जिससे भारत में अंततः दोनों-- बीमाकर्ताओं और पालिसीधारकों को लाभ पहुँचता है।

- **आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 नौ विनियमों को एक एकल ढाँचे के रूप में समेकित करते हैं जो बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों की कार्यकुशलता और अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने पर संकेन्द्रित है। इन विनियमों के उद्देश्यों में शामिल हैं, बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के प्रभावी निर्वहण के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, तथा व्यवसाय करने की सुगमता के संवर्धन को सुनिश्चित करना। अतिरिक्त रूप से उक्त विनियम बीमाकर्ता की परिस्थिति का निर्धारण करने में पारदर्शिता और सहीपन प्रदान करने के लिए लागू मानकों के अनुसार विनियामक विवरणियों की तैयारी और रिपोर्टिंग पर बल देते हैं तथा इसके द्वारा पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा की जाती है और बीमा क्षेत्र के अंदर व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाया जाता है।

- **आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध कार्य) विनियम, 2024**

उक्त आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध कार्य) विनियम, 2024) विनियम, 2024 आठ विनियमों का समेकन कई प्रमुख उद्देश्यों पर संकेन्द्रित एक एकीकृत संरचना में करते हैं जिसका लक्ष्य बीमा पालिसियों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और उनके विक्रय के दौरान संभावित ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों के साथ उनकी संबद्धता की पूरी अवधि के दौरान करना है। ये विनियम शिकायत निवारण और पालिसीधारक-केन्द्रित अभिशासन सहित, पालिसीधारकों के प्रति बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा मानक प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के अंगीकरण पर बल देते हैं। अतिरिक्त रूप से, इन विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं के द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों से संबंधित जोखिम प्रबंध में विवेकपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, उक्त विनियम सुनिश्चित करते हैं कि दोनों देशी और अंतरराष्ट्रीय तौर पर बीमाकर्ताओं के द्वारा व्यवसाय के स्थानों को खोलना और बंद करना ऐसे तरीके से संचालित किया जाना चाहिए जो पालिसीधारकों के हितों को प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष के तौर पर, इन सभी उपायों को 2047 तक सबके लिए बीमा की परिदृष्टि की दिशा में मार्ग प्रशस्त करनेवाली अधिकाधिक कार्यकुशलता और प्रभावकारिता की ओर भारतीय बीमा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए संतुलित रूप में रखा गया है।

IRDAI remains committed to fostering a conducive regulatory environment that protects interests of the policyholders and encourages innovation, competition, and sustainable growth in the insurance industry. At the 125th Authority meeting convened on Tuesday, March 19, 2024, at the IRDAI Head Office in Hyderabad, the Authority approved eight principle-based consolidated regulations, following the comprehensive review of regulatory framework for insurance sector.

These regulations encompass pivotal domains such as safeguarding of policyholders' interests, rural and social sector responsibilities, electronic insurance marketplace, insurance products and operation of foreign reinsurance branches, as well as aspects of registration, actuarial, finance, investment and corporate governance. This comes after the notification of the first consolidated regulation on Expenses of Management of insurers in January, 2024.

It marks a significant milestone in regulatory governance which has replaced 34 regulations with 6 regulations and introduction of 2 new regulations enhancing clarity and coherence in the regulatory landscape. The process involved extensive consultations with diverse stakeholders, including insurance industry, experts, and public at large ensuring a comprehensive consideration of varied perspectives in shaping the revised framework.

Following are the gist of regulations approved by IRDAI in the 125th meeting:

- **IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024**

The IRDAI (Rural, Social Sector, and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 consolidate 2 erstwhile regulations pertaining to minimum business obligations in rural, social sector and motor third party business for insurers, as mandated under the Insurance Act, 1938. Compliance and measurement of these statutory obligations has been revised where the unit of measurement under the rural obligations will now be Gram Panchayat, the scope of social sector has been extended to cover cardholders and beneficiaries under various schemes. Under the Motor Third Party Obligations, unit of measurement will be renewal of insurance coverage to goods carrying vehicles, passenger carrying vehicles and tractors.

- **IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024**

The IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024, aims to establish a Digital Public Infrastructure named Bima Sugam towards universalization and democratization of insurance as well as empowering and safeguarding policyholders' interests and achieve the vision of "Insurance for all by 2047". This marketplace serves as a one stop solution for all insurance stakeholders, including customers, insurers, intermediaries, and agents, thereby, promoting transparency, efficiency, and collaboration across the entire insurance value chain.

- **IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024**

The IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares & Amalgamation Insurers) Regulations, 2024 streamline seven regulations into a single comprehensive framework. It aims to foster the growth of the insurance sector by simplifying various processes, including registration of insurers, transfer of shareholding, capital structure, amalgamation of insurers, and listing of shares on

stock exchanges. By streamlining these procedures, the regulations seek to enhance the ease of doing business within the insurance industry, facilitating smoother operations and promoting overall sectoral growth.

- **IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024**

The IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 aim to establish a robust governance framework for insurers, defining the roles and responsibilities of the board and management. This is for the first time that the governance aspects under the existing guidelines are notified in the form of regulations, which highlights the importance of governance in the functioning of an insurance company. It also prioritizes meeting the expectations of all stakeholders, especially policyholders, while ensuring the adoption of sound and prudent governance principles and practices. By emphasizing transparency, accountability, and ethical conduct, these regulations aim to enhance trust and confidence among stakeholders.

- **IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024**

The IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 merge six regulations into a unified framework aimed at enabling insurers to swiftly respond to evolving market demands, enhancing the ease of conducting business, and boosting insurance penetration. These regulations promote good governance in product design and pricing, including strengthening of the principles governing guaranteed surrender value & special surrender value along with disclosures thereof. It also ensures that the insurers adopt sound management practices for effective oversight and due diligence. Additionally, the regulations encourage the development of innovative insurance products that cater to the requirements of different segments/strata of the society and provide wider choices while also considering the interests of policyholders and maintaining regulatory compliance, thereby, fostering a competitive marketplace.

- **IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024**

The IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024 consolidate two regulations and aims to foster the systematic development of the reinsurance sector in India by promoting orderly growth and harmonizing the existing legal and regulatory framework. These regulations seek to streamline the operations of entities engaged in reinsurance operations. By promoting transparency and stability, these regulations aim to create a conducive environment for the growth and expansion of the reinsurance sector, ultimately benefiting both insurers and policyholders in India.

- **IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024**

The IRDAI (Actuarial, Finance, and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 consolidate nine regulations into a single framework focused on enhancing the efficiency and responsiveness of insurers' actuarial, finance, and investment functions. The objectives of these regulations include ensuring the implementation of sound and responsive management practices for effective discharge of actuarial, finance, and investment functions, safeguarding policyholders' interests, and promoting ease of doing business. Additionally, the regulations emphasize the preparation and reporting of regulatory returns in accordance with applicable

standards to provide transparency and accuracy in assessing the insurer's state of affairs, thereby safeguarding policyholders' interests and facilitating ease of doing business within the insurance sector.

- **IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024**

The IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024 consolidate eight regulations into a unified structure, focusing on several key objectives aimed at ensuring fair treatment of prospects during solicitation and sale of insurance policies and protecting the interests of policyholders throughout their engagement with insurers and distribution channels. These regulations emphasize the adoption of standard procedures and best practices by insurers and distribution channels to fulfill their obligations towards policyholders, including grievance redressal and policyholder-centric governance. Additionally, the regulations aim to promote prudent practices in risk management related to outsourcing activities by insurers. Furthermore, the regulations ensure that the opening or closing of places of business by insurers, both domestically and internationally, is conducted in a manner that prioritizes the interests of policyholders.

In conclusion, all of these measures are poised to propel the Indian insurance industry towards greater efficiency and effectiveness leading towards the vision of *Insurance for All by 2047*.
